दिनांक: 14-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 लूटेरे अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 लूट गयी स्कूटी, 01 लूट का आईफोन व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

- **01 स्कूटी होन्डा एक्टिवा**
- **01 आईफोन 7**
- **01 मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डिलक्स**

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2023 को वादी श्री मौ0 शारिक पुत्र दिलशेर खाँ नि0 पुरानी मण्डी सराय गरीब चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात बदमाशो द्वारा वादी के भांजे से 01 स्कूटी होन्डा एक्टिवा व 01 आईफोन-7 लूट कर ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया। जिसके आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 262/23 धारा 392 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व लुटेरो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कुतुबशेर को आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे घटना के सफल अनावरण करने हेतु टीम गठित की गई। आज दिनांक 14.09.2023 को थाना कुतबुशेर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम हौजखेडी चौराहा बडी नहर के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट की घटना कारित करने वाले 04 लूटेरे अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र भूषण नि0 ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 2. आकाश पुत्र संजय नि0 ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर सहारनपुर, 3. लव पुत्र सतीश कुमार नि0 ग्राम काजीवाला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 4. कुनाल उर्फ घोलू पुत्र देवीचन्द नि0 ग्राम कचरई थाना नानौता जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गई स्कूटी होन्डा एक्टिवा रजि0न0 UP11CA2232 तथा लूटा गया आईफोन-7 बरामद किया गया। अभियुक्तगणो की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो एच-एफ डिलक्स रजि0न0 UP11CM5052 को बरामद किया गया। अभियुक्तगणो को विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम चारो आपस मे दोस्त है। पिछले कुछ समय से हमको शराब पीने की तथा नशा करने की लत लग गई थी। जिस कारण अपनी नशे व शराब की जरूरतो का खर्च पूरा करने के लिए हम चारो ने लूट की योजना बनाकर कोलागढ बडी नहर पटरी पर यह लूट की घटना की थी।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. गौरव पुत्र भूषण नि0 ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. आकाश पुत्र संजय नि0 ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
3. लव पुत्र सतीश कुमार नि0 ग्राम काजीवाला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. कुनाल उर्फ घोलू पुत्र देवीचन्द नि0 ग्राम कचरई थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

(1) स्कूटी होन्डा एक्टिवा रजि0न0 UP11CA2232
(2) लूटा गया आईफोन 7
(3) लूट मे प्रयुक्त मो0सा0 हिरो एच एफ डिलक्स रजि0न0 UP11CM5052

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सचिन पुनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1022 कृष्णदत्त थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 453 प्रवीण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 397 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 1929 जव्वाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 14.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सिम्भालकी के जंगल में हुई हत्या का खुलासा करते हुए मात्र 24 घण्टें में हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक फावड़ा, एक पाठल लोहा व एक मोटर साईकिल रेहड़ा बरामद

तत्परता से गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उत्साहवर्धन हेतु पुलिस टीम को 21,000/- रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.9.2023 को वादी सुशील कुमार पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम सिम्भालकी गुज्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि मेरे पिता श्री पल्टूराम को जंगल ग्राम सिम्भालकी गुज्जर थाना फतेहपुर में 1. इकराम तेली 2. इकबाल 3. इमरान नि0 गण ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.09.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 वांछित अभियुक्तों **1. इकबाल पुत्र इरफान नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर 2. लाला उर्फ इकराम तेली पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर** को घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा, 01 पाठल लोहा एवं 01 मोटर साईकिल रेहड़ा मय लकड़ी कुल 30 पौरे छोटे बडे के साथ भगवानपुर गागलहेडी रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 12.9.2023 की शाम का वाक्या है इकबाल, इकराम व हमारे गांव का इमरान पुत्र आबिद तीनो ने ग्राम सिम्भालकी गुर्जर के जंगल में लाला राजकुमार मित्तल के बाग की नोर से तीन पेड़ यूके लिप्टिस व एक पेड़ पोपलर काटकर अपने रेहडे में भर रहे थे कि तभी मौके पर उनका रखवाला पल्टूराम आ गया था जो फावड़ा एवं खुरपी लिये था। वह हम सभी को भली भांति पहचानता था उसने हमारा नाम लेकर हमारी शिकायत बाग के मालिक से करने को कहा और हमारे साथ गाली गलौच करने लगा तो हमने उसे लालच दिया फिर भी वह नही माना तो हमने उसे डराने धमकाने का प्रयास किया तो वह फिर भी नही माना जिस कारण हम लोगो को गुस्सा आ गया तब इकबाल ने पल्टूराम के हाथ से फावड़ा छीनकर फावडे से व लाला उर्फ इकराम और इमरान ने अपने अपने हाथो में लिये पाठल से पल्टूराम के सिर पर वार किये जिससे पल्टूराम मौके पर ही मर गया जिसको हमने बराबर के ईंख के खेत में छिपा दिया। इसके बाद हम वहाँ से अपना

लकड़ी का रेहडा लेकर व इमरान अपनी मोटर साईकिल लेकर भाग गये थे और हमने जंगल में ईंख के खेत की ओड़ में रेहडा मय लकड़ी के व पाठल तथा फावडे को छुपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. इकबाल पुत्र इरफान नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. लाला उर्फ इकराम तेली पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 फावडा (आला कत्ल) व खून लगे कपड़े (अभियुक्त इकबाल उपरोक्त की निशादेही पर)
- 01 पाठल लोहा (आला कत्ल) व खून लगे कपड़े (अभियुक्त इकराम उपरोक्त की निशादेही पर)
- 01 मोटर साईकिल रेहड़ा मय लकड़ी कुल 30 पौरे छोटे बडे

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. इकबाल पुत्र इरफान नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

(I) मु0अ0सं0 196/16 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

(II) मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

2. लाला उर्फ इकराम तेली पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

(I) मु0अ0सं0 260/11 धारा 363/366/376/504/506 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

(II) मु0अ0सं0 03/23 धारा 457/380/427/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

(III) मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
2. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. श्री रईस अहमद, व0उ0नि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री करन नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. है0का0 610 विपिन राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. का0 2176 श्यामपाल थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक:14-9-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण व वाहन चोरी की घटनाओ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14-09-2023 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 268/2023 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **अनित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को तितरो तिराहा कस्बा व थाना गंगोह से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल UP11AS-2399 हीरो बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। तथा अभियुक्त अनित उपरोक्त की निशांदेही पर एक अन्य चोरी की मोटरसाईकिल UP11AS 4608 बरामद की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/2023 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अनित ने पूछताछ पर बताया कि 01 मोटरसाइकिल को 4 महिने पहले पशु मण्डी कस्बा गंगोह से चोरी की थी। और दूसरी मोटरसाइकिल को तीतरो रोड़ कमेले के पीछे से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 मोटरसाइकिल UP11AS 2399 हीरो

01 मोटर साइकिल UP11AS 4608 हीरो स्पलेन्डर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संदीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 1606 दीपक कुमार, थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के 01 वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 31.08.2023 को वादी द्वारा थाना चिलकाना पर आकर लिखित सूचना दी कि गांव के ही रहने वाले आमिर पुत्र तनवीर निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना सहारनपुर ने उसके घर में घुसकर उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-137/2023 धारा-3452/323/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम आमिर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये । जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.09.2023 को वाछित अभियुक्त **आमिर पुत्र तनवीर निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलाकना सहारनपुर** को ग्राम कातला गांव से आगे मरोडगढ वाली रोड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आमिर पुत्र तनवीर निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

उ0नि0 मुकेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
का0 2332 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट 14.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज दिनांक 14.09.23 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक कल्पना त्यागी, उपनिरीक्षक मधु व म0का0 1132 सरिता की उपस्थिति में कान्उसलर श्रीमति सरोज गोयल व श्रीमान पी0एन छोकर, के एल दावडा, के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 16 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 12 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये। 04 प्रकरणों मे दोनो पक्ष अनुपस्थित आये। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 02 पक्ष मे समझौता कराकर पत्रावली बन्द की गई व 01 पक्ष में न्यायालय चाराजोई की हिदायत देते हुये पत्रावली बन्द की गयी ।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1.नईमा पत्नी साबिर नि0 अबदयालपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर मो0	सोनू पुत्र मकसद नि0 अबदयालपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर मो0 9927410787
2.प्रियंका पुत्री जगपाल नि0 नन्हेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर मो0	मोनू पुत्र शम्भु नि0 गोधनपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

दिनांकः- 14.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के 01 वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2023 को वादी द्वारा थाना सरसावा पर आकर लिखित सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 270/23 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए शीघ्र बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी थाना सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना सरसावा द्वारा मय हमराह फोर्स के थाना स्थानीय के 270/23 धारा 363/376 आईपीसी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश मे आये अभियुक्त **शोएब पुत्र राहिल निवासी मौसम बिहार पसौन्डा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोएब पुत्र राहिल निवासी मौसम बिहार पसौन्डा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.हे0कां0 1006 तरूण कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. कां0 2517 शिवकुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 14-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड के दौरान फरार अवैध कटान करने वाले 02 वांछित अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान व वारण्टी/वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के निर्देशन में थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 484/23 धारा 269/270/272/273/332/353/429/307 भा.द.वि व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 के वांछित अभियुक्तगणो **हाजी नसीम खुड्डावाला पुत्र तौफीक नि0 बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को PWD तिराहे देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **शाहिद पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला किला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को भायला फाटक देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगणो ने पूछने पर बताया कि वह अपने साथियो के साथ मिलकर विभिन्न पशु पेठ से पशु लाकर मौ0 बैरून कोटला मे स्थित साहिद के घेर मे पशुओ को काटकर उनका मीट बाजार मे बेच देते है। हाजी नसीम उर्फ खुड्डा व शमशेर का काम जगह जगह बाजार तलाश करना व मीट को सप्लाई करना व यह देखना कि ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है। जो पुराना मीट बच जाता है तो उसमे कैमिकल लगा कर रख लेते है और अगले दिन ताजा मीट के साथ मिलाकर बेच देते है। जिससे काफी मुनाफा होता है। दिनांक 09.09.23 की रात्रि मे जब हम लोग पशु कटान की तैयारी कर रहे थे तो मौके पर पुलिस आ गयी और हम लोग मौके देखकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:–

(1) शाहिद पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला किला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(2) हाजी नसीम खुड्डावाला पुत्र तौफीक नि0 बैरुन कोटला कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहिद

(1) मु0अ0सं0-82/11 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(2) मु0अ0सं0- 428/08 धारा 34 पुलिस अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 269/270/420/429 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(3) मु0अ0सं0-1082/10 धारा 147/148/149/295ए/307 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(4) मु0अ0सं0-19/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(5) मु0अ0सं0- 744/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हाजी नसीम

(1) मु0अ0सं0- 428/2008 धारा 34 पुलिस अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 269/270/420/429 भा.द.वि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(2) मु0अ0सं0- 656/12 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पुश क्रूरता अधिनियम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(3) मु0अ0सं0-254/19 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(4) मु0अ0सं0- 484/23 धारा 3/11 पशु क्ररता अधिनियम व 269/270/272/273/307/332/353/429 भा.द.वि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

9. व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
10. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
11. है0कां0 254 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।